श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 30 अप्रल, 1986

सं०ओ०वि०/अम्बाला/53-86/14681.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मैनेजिंग डायरैक्टर हरियाणा वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन एस.सी.ओ. नं० 8 सैक्टर-17 चण्डीगढ़, के श्रमिक श्रीमति कान्ता रानी ग्रोवर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985, के द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्रीमती कान्ता रानी ग्रोवर पत्नी श्री नरेश ग्रोवर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

दिनांक 5 मई, 1986

सं० ओ०वि०/अम्बाला/10-86/15416.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) दी आफिसर इन्चार्ज सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च सैन्टर, सैक्टर—27 चन्डीगढ़ (2) दी सीनियर टैकनीकल असिस्टैन्ट सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म मन्शा देवी डाकखाना मनी माजरा पंचकूला (अम्बाला) के श्रमिक श्री बलदेव सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985, द्वारा उक्त अधिसूचिना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्य श्री बलदेव सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/अम्बाला/11-86/15423.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) दी आफिसर इन्चार्ज सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च सैन्टर, सैक्टर 27 चण्डीगढ़ (2) दी सीनियर टैकनीकल असिस्टैन्ट सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म मन्सा देवी, डाकखाना मनी माजरा पंचकूला (अम्बाला), के श्रमिक श्री सूरजबली तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरजबली की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?